

हरियाणा सरकार

कृषि विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 जून, 2009

संख्या 1199-कृषि.अनु०(1).2009/9143.—पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23), की धारा 43 की उपधारा (2) के खण्ड (xxviii), (xxix) तथा (xxx) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा नियम, 2008 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. ये नियम हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, 2009, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा नियम, 2008 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, उपनियम (1) में,—

(i) खण्ड (ख) में, “प्रबन्धक निदेशक तथा मुख्य महाप्रबन्धक” शब्दों के स्थान पर, “मुख्य प्रशासक तथा सचिव” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खण्ड (ट) का लोप कर दिया जाएगा;

(iii) खण्ड (द) में, “मुख्य महाप्रबन्धक” शब्द जहां कहीं विद्यमान हो के स्थान पर, “सचिव” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 6 में, विद्यमान तालिका के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

“तालिका

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी
1	2	3
1.	नियन्त्रक वित्त तथा लेखा	प्रशासकीय समिति
2.	प्रमुख अभियन्ता	
3.	मुख्य अभियन्ता	
4.	मुख्य विपणन प्रवर्तन अधिकारी	
5.	विपणन विकास अधिकारी	
6.	अधीक्षक अभियन्ता (सिविल), सतर्कता तथा गुण नियन्त्रण, (सिविल)	
7.	अधीक्षक अभियन्ता (विद्युत)	
8.	अधीक्षक अभियन्ता (जन स्वास्थ्य)	
9.	उप महाप्रबन्धक (विपणन तथा निर्यात मण्डल)	
10.	उप महाप्रबन्धक (मण्डी अनुसन्धान, पोस्ट हारवैस्टिंग प्रबन्धन तथा किसानों तथा बोर्ड कार्मिक को प्रशिक्षण)	
11.	उप महाप्रबन्धक (गुण नियन्त्रक)	
12.	वास्तुकार	
13.	प्रशासकीय अधिकारी	
14.	जोनल विपणन प्रवर्तन अधिकारी	
15.	कार्यकारी अभियन्ता (सिविल/गुण नियन्त्रक)	
16.	कार्यकारी अभियन्ता (विद्युत)	

1	2	3
17	कार्यकारी अभियन्ता (जन स्वास्थ्य)	मुख्य प्रशासक
18	परियोजना प्रबन्धक	
19	सहायक परियोजना प्रबन्धक (सिविल)	
20	सहायक परियोजना प्रबन्धक (विद्युत)	
21	सहायक परियोजना प्रबन्धक (रेफरीजेशन)	
22	सहायक कृषि परियोजना प्रबन्धक (बागवानी)	
23	सहायक कृषि परियोजना प्रबन्धक (खाद्य प्रसंस्करण)	
24	सहायक वास्तुकार	
25	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	
26	जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी	
27	उप मण्डल अभियन्ता (सिविल, विद्युत, जनस्वास्थ्य, मैकेनिकल, गुण नियन्त्रक)	
28	उप मण्डल अभियन्ता (भू-दृश्य-निर्माण)	
29	सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	
30	सहायक महाप्रबन्धक (विपणन तथा निर्यात मण्डल)	
31	पुरतकाध्याक्ष	
32	वास्तुशिल्पीय सहायक	
33	निजी सचिव	
34	लेखा अधिकारी	
35	अधीक्षक	
36	सहायक लेखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी	
37	मण्डल लेखाकार	
38	वरिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकार)	
39	वाणिज्यिक लेखाकार	
40	परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार	
41	कनिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकला)	
42	निजी सहायक	
43	उप अधीक्षक	
44	सहायक सचिव	
45	कृषि कारबार प्रबन्धक	
46	मुख्य प्रारूपकार (सिविल/विद्युत)	
47	कनिष्ठ अभियन्ता, सिविल/विद्युत/मैकेनिकल/जन स्वास्थ्य/गुण नियन्त्रक	
48	कनिष्ठ अभियन्ता (भू-दृश्य-निर्माण)	
49	इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सहायक	
50	कानूनगो	
51	सहायक प्रारूपकार (वास्तुकार)	
52	वरिष्ठ कानूनगो अशुलियिक	

1	2	3
53	सहायक	
54	लेखाकार (मण्डी समिति)	
55	प्रारूपकार आटो कैड	
56	सहायक प्रारूपकार (सिविल, गुण नियन्त्रक, जनस्वास्थ्य, विद्युत, मैकेनिकल)	
57	मण्डी पर्यवेक्षक एवं फीस कलक्टर	
58	लेखा लिपिक / उप मण्डल लिपिक	
59	लेखा परीक्षक	
60	सहायक अग्नि उप अधिकारी	
61	पलम्बर	
62	इलेक्ट्रीशियन	
63	मोटर मैकेनिक	
64	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	
65	चालक संचालक	
66	लीडिंग फायरमैन	
67	चालक	
68	पटवारी	
69	कम्प्यूटर संचालक एवं लिपिक	
70	लिपिक	
71	डूप्लीकेटिंग मशीन संचालक	
72	बस परियालक	
73	रैस्टोर	
74	आशुटकक	
75	फायरमैन	
76	नीलापी रिकार्डर	
77	नलकूप संचालक	
78	दफतरी	
79	जमादार	
80	रोड रोलर कलीनर	
81	माली	सचिव ।
82	फैरो खलासी	
83	रवीपर	
84	सेवादार एवं चौकीदार	
85	ट्रक कलीनर	

4. उक्त नियमों में, नियम 23 में, प्रथम पंक्ति में, "बोर्ड" शब्द के स्थान पर, "सरकार" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

***परिशिष्ट क**
(वेबिण नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	वेतनमान वेतन बैण्ड	(रुपयों में) ग्रेड पे
1	2	3		4	5
1	नियन्त्रक वित्त तथा लेखा	01	प्रतिनियुक्ति की दशा में अपना वेतनमान 15600-39100	पी0 बी0-3	7600
2	प्रमुख अभियन्ता	01	37400-67000	पी0 बी0-4	12000
3	मुख्य अभियन्ता	02	37400-67000	पी0 बी0-4	10000
4	मुख्य विपणन प्रवर्तन अधिकारी	01	15600-39100	पी0 बी0-3	8000
5	विपणन विकास अधिकारी	01	15600-39100	पी0 बी0-3	7600
6	अधीक्षक अभियन्ता (सिविल, सतर्कता तथा गुण नियन्त्रक) (सी)	सिविल= 07 सतर्कता तथा गुण नियन्त्रक (सी)=01	15600-39100	पी0 बी0-3	7600
7	अधीक्षक अभियन्ता (विद्युत)	01	15600-39100	पी0 बी0-3	7600
8	अधीक्षक अभियन्ता (जन स्वास्थ्य)	01	15600-39100	पी0 बी0-3	7600
9	उप महाप्रबन्धक (विपणन तथा निर्यात मण्डल)	02	15600-39100	पी0 बी0-3	6400
10	उप महाप्रबन्धक (मण्डी अनुसन्धान, पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रबन्धन तथा किसानों तथा बोर्ड कार्मिक को प्रशिक्षण)	01	15600-39100	पी0 बी0-3	6400
11	उप महाप्रबन्धक (गुण नियन्त्रक)	01	15600-39100	पी0 बी0-3	6400
12	वास्तुकार	01	15600-39100	पी0 बी0-3	6000
13	प्रशासकीय अधिकारी	02	15600-39100	पी0 बी0-3	6000
14	जोमल विपणन प्रवर्तन अधिकारी	4	15600-39100	पी0 बी0-3	6000
15	कार्यकारी अभियन्ता (सिविल/गुण नियन्त्रक)	सिविल-23 गुण नियन्त्रक (सी)=1 मैकेनिकल=1 (डिमिनिशिंग)	15600-39100	पी0 बी0-3	6000
16	कार्यकारी अभियन्ता (विद्युत)	03	15600-39100	पी0 बी0-3	6000
17	कार्यकारी अभियन्ता (जन स्वास्थ्य)	02	15600-39100	पी0 बी0-3	6000
18	परियोजना प्रबन्धक	01	15600-39100	पी0 बी0-3	6000
19	सहायक परियोजना प्रबन्धक (सिविल)	01	9300-34800	पी0 बी0-3	5400
20	सहायक परियोजना प्रबन्धक (विद्युत)	01	9300-34800	पी0 बी0-3	5400
21	सहायक परियोजना प्रबन्धक (रिफरिजेशन)	01	9300-34800	पी0 बी0-3	5400

1	2	3	4	5
22	सहायक कृषि परियोजना प्रबन्धक (बागवानी)	01	9300-34800	पी0 बी0-3 5400
23	सहायक कृषि परियोजना प्रबन्धक (खाद्य प्रसंस्करण)	01	9300-34800	पी0 बी0-3 5400
24	सहायक वास्तुकार	01	15600-39100	पी0 बी0-3 5400
25	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	02	15600-39100	पी0 बी0-3 6000
26	जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी	13	15600-39100	पी0 बी0-3 5400
27	उप मण्डल अभियन्ता	सिविल=81 विद्युत=9 जनस्वास्थ्य=6 मैकेनिकल=4 गुण नियन्त्रक (सी)=3	15600-39100	पी0 बी0-3 5400
28	उप मण्डल अभियन्ता (भू-दृश्य-निर्माण)	01	15600-39100	पी0 बी0-3 5400
29	सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	106	9300-34500	पी0 बी0-2 4600
30	सहायक महाप्रबन्धक (विपणन तथा निर्यात मण्डल)	01	9300-34800	पी0 बी0-2 4200
31	पुस्तकाध्यक्ष	01	9300-34800	पी0 बी0-2 4200
32	वास्तुशिल्पीय सहायक	01	9300-34800	पी0 बी0-2 4200
33	निजी सचिव	03	9300-34800	पी0 बी0-2 4200
34	लेखा अधिकारी	06	9300-34800	पी0 बी0-2 5400
35	अधीक्षक	12 7.	9300-34800	पी0 बी0-2 4200
36	सहायक लेखा अधिकारी/अनुभाग अधीक्षारी	8	9300-34800	पी0 बी0-2 4600
37	मण्डल लेखाकार	28	9300-34800	पी0 बी0-2 4200
उनके अपने वेतनमान में महालेखाकार, हरियाणा से प्रतिनियुक्ति पर				
38	वरिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकार)	02	9300-34800	पी0 बी0-2 4000
39	वाणिज्यिक लेखाकार	03	9300-34800	पी0 बी0-2 4000
40	परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार	09	9300-34800	पी0 बी0-2 4000
41	कनिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकला)	04	9300-34800	पी0 बी0-2 3600
42	निजी सहायक	06	9300-34800	पी0 बी0-2 3600
43	उप अधीक्षक	32	9300-34800	पी0 बी0-2 3600
44	सहायक सचिव	156	9300-34800	पी0 बी0-2 3600
45	कृषि कारबार प्रबन्धक	21	9300-34800	पी0 बी0-2 3600
46	मुख्य प्रारूपकार (सिविल/विद्युत)	सिविल=20 विद्युत=1	9300-34800	पी0 बी0-2 3600

1	2	3	4	5
22	सहायक कृषि परियोजना प्रबन्धक (बागवानी)	01	9300-34800	पी0 बी0-3 5400
23	सहायक कृषि परियोजना प्रबन्धक (खाद्य प्रसंस्करण)	01	9300-34800	पी0 बी0-3 5400
24	सहायक वास्तुकार	01	15600-39100	पी0 बी0-3 5400
25	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	02	15600-39100	पी0 बी0-3 6000
26	जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी	13	15600-39100	पी0 बी0-3 5400
27	उप मण्डल अभियन्ता	सिविल=81 विद्युत=9 जनस्वास्थ्य=6 मैकेनिकल=4 गुण नियन्त्रक (सी)=3	15600-39100	पी0 बी0-3 5400
28	उप मण्डल अभियन्ता (भू-दृश्य-निर्माण)	01	15600-39100	पी0 बी0-3 5400
29	सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	106	9300-34500	पी0 बी0-2 4600
30	सहायक महाप्रबन्धक (विपणन तथा निर्यात मण्डल)	01	9300-34800	पी0 बी0-2 4200
31	पुस्तकाध्यक्ष	01	9300-34800	पी0 बी0-2 4200
32	वास्तुशिल्पीय सहायक	01	9300-34800	पी0 बी0-2 4200
33	निजी सचिव	03	9300-34800	पी0 बी0-2 4200
34	लेखा अधिकारी	06	9300-34800	पी0 बी0-2 5400
35	अधीक्षक	12	9300-34800	पी0 बी0-2 4200
36	सहायक लेखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी	8	9300-34800	पी0 बी0-2 4600
37	मण्डल लेखाकार	28	9300-34800	पी0 बी0-2 4200
			उनके अपने वेतनमान में महालेखाकार, हरियाणा से प्रतिनियुक्ति पर	
38	वरिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकार)	02	9300-34800	पी0 बी0-2 4000
39	वाणिज्यिक लेखाकार	03	9300-34800	पी0 बी0-2 4000
40	परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार	09	9300-34800	पी0 बी0-2 4000
41	कनिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकला)	04	9300-34800	पी0 बी0-2 3600
42	निजी सहायक	06	9300-34800	पी0 बी0-2 3600
43	उप अधीक्षक	32	9300-34800	पी0 बी0-2 3600
44	सहायक सचिव	156	9300-34800	पी0 बी0-2 3600
45	कृषि कारबार प्रबन्धक	21	9300-34800	पी0 बी0-2 3600
46	मुख्य प्रारूपकार (सिविल/विद्युत)	सिविल=20 विद्युत=1	9300-34800	पी0 बी0-2 3600

1	2	3	4	5
47	कनिष्ठ अभियन्ता, (सिविल/विद्युत/ मैकेनिकल/जन स्वास्थ्य/ गुण नियन्त्रक)	सिविल=256 गुण नियन्त्रक (सी)=3 विद्युत=28 मैकेनिकल=9 जन स्वास्थ्य=18	9300-34800 जी-1 9300-34800 जी-11	पी0 बी0-2, 3600 5200
48	कनिष्ठ अभियन्ता (भू-दृश्य-निर्माण)	01	9300-34800 जी-1 9300-34800 जी-11	पी0 बी0-2 3600 5200
49	इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सहायक	04	9300-34800	पी0 बी0-2 3300
50	कानूनगो	01	9300-34800	पी0 बी0-2 3200
51	सहायक प्रारूपकार (वास्तुकार)	02	9300-34800	पी0 बी0-2 3200
52	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	14	9300-34800	पी0 बी0-2 3200
53	सहायक	59	9300-34800	पी0 बी0-2 3200
54	लेखाकार (मण्डी समिति)	129	9300-34800	पी0 बी0-2 3200
55	प्रारूपकार आटो कैड	04	9300-34800	पी0 बी0-2 3200
56	सहायक प्रारूपकार (सिविल, गुण नियन्त्रक, जन स्वास्थ्य, विद्युत, मैकेनिकल)	सिविल=47 गुण नियन्त्रक(सी)=2 जनस्वास्थ्य (सी)=2 विद्युत=2 मैकेनिकल=2	9300-34800	पी0 बी0-2 3200
57	मण्डी पर्यवेक्षक एवं फीस कलक्टर	455	9300-34800	पी0 बी0-2 3200
58	लेखा लिपिक/उप मण्डल लिपिक	110	9300-34800	पी0 बी0-2 3200
59	लेखा परीक्षक	2	9300-34800	पी0 बी0-2 3200
60	सहायक अग्नि उप अधिकारी	18	9300-34800	पी0 बी0-2 3200
61	पलम्बर	25	5200-20200	पी0 बी0-1 डिप्लोमा होल्डर के लिए 2400/- रुपये तथा अन्य के लिए 1900/- रुपये
62	इलेक्ट्रीशियन	23	5200-20200	पी0 बी0-1 डिप्लोमा होल्डर के लिए 2400/- रुपये तथा अन्य के लिए 1900/- रुपये
63	मोटर मैकेनिक	01	5200-20200	पी0 बी0-1 2400
64	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	11	5200-34800	पी0 बी0-1 2400
65	चालक संचालक	12	5200-20200	पी0 बी0-1 2400
66	लीडिंग फायरमैन	13	5200-20200	पी0 बी0-1 2400

1	2	3	4	5
67	चालक	कार एवं जीप=130 ट्रैक्टर चालक=42 ट्रक चालक =20 रोड रोलर चालक=46 बस चालक=1	5200-20200	पी0 बी0-1 2400 + विशेष वेतन
68	पटवारी	01	5200-20200	पी0 बी0-1 1900
69	कम्प्यूटर संचालक एवं लिपिक	21	5200-20200	पी0 बी0-1 1900
70	लिपिक	203	5200-20200	पी0 बी0-1 1900
71	डूप्लीकेटिंग मशीन संचालक	01	5200-20200	पी0 बी0-1 1900
72	बस परिचालक	01	5200-20200	पी0 बी0-1 1900
73	रैस्टोरर	01	5200-20200	पी0 बी0-1 1900
74	आशुटकक	29	5200-20200	पी0 बी0-1 1900 + विशेष वेतन
75	फायरमैन	46	5200-20200	पी0 बी0-1 1900
76	नीलामी रिकार्डर	984	5200-20200	पी0 बी0-1 1900
77	नलकूप संचालक	9	5200-20200	पी0 बी0-1 1900
78	दफ्तरी	2	4400-7940	पी0 आई एस 1650
79	जमादार	2	4400-7940	पी0 आई एस 1650
80	रोड रोलर क्लीनर	01	4400-7940	पी0 आई एस 1300
81	माली	3	4400-7940	पी0 आई एस 1300
82	फैरो खलासी	5	4400-7940	पी0 आई एस 1300
83	स्वीपर	20	4400-7940	पी0 आई एस 1300 + विशेष भत्ता
84	सेवादर एवं चौकीदार	283	4400-7940	पी0 आई एस 1300
85	ट्रक क्लीनर	04	4400-7940	पी0 आई एस 1300

6. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

***परिशिष्ट ख**

(देखिये नियम 7 तथा 10)

क्रम संख्या	पद नाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	भर्ती का ढंग
1	2	3	4	5
1	नियन्त्रक वित्त तथा लेखें	—	(i) वरिष्ठ उप महालेखाकार/ उप महालेखाकार की पदवी का भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा का कोई अधिकारी; या (ii) राज्य लेखा सेवा (एस0ए0एस0) / कारबार प्रशासन (वित्त) का मास्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट/ आई0 सी0 डब्ल्यू0 ए0 में तीन वर्ष का अनुभव रखने वाला वरिष्ठ लेखा अधिकारी।	वरिष्ठ लेखा अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
2	प्रमुख अभियन्ता	—	मुख्य अभियन्ता के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।	मुख्य अभियन्ताओं में से पदोन्नति द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन बोर्ड या निगम या किसी अभिकरण की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
3.	मुख्य अभियन्ता	—	अधीक्षण अभियन्ता के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।	50 प्रतिशत अधीक्षण अभियन्ताओं में से पदोन्नति द्वारा तथा 50 प्रतिशत किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन बोर्ड या निगम या किसी अभिकरण की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो अधीक्षण अभियन्ता के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखता हो।

टिप्पणी 1:—यदि पदोन्नति कोटे के अधीन सेवा में कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, जो

1	2	3	4	5
				पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा ।
				टिप्पणी 2: —नया सृजित पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा जैसा कि यह पद सरकार की स्वीकृति के अनुसार दो वर्ष के बाद पुनरीक्षण के अधधीन है ।
4	मुख्य विपणन प्रवर्तन अधिकारी	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा विकास गतिविधियों का कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखता हो।	विपणन विकास अधिकारी के रूप में बोर्ड में कार्य करने का कम से कम सात वर्ष का अनुभव; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/बोर्ड/निगम/कानूनी निकाय तथा पंजीकृत सहकारी निकाय के अधीन किसी समकक्ष या उच्च पद पर कार्य करने, कृषि गतिविधियों से सम्बन्धित लोक कृत्य निर्वहन करने का सात वर्ष का अनुभव जहां केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार का शेयर होल्डिंग 50 प्रतिशत से कम नहीं है।	विपणन विकास अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार या राज्य सरकार या बोर्ड/निगम/कानूनी निकाय पंजीकृत सहकारी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा ।
5	विपणन विकास अधिकारी		जोनल विपणन प्रवर्तन अधिकारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ।	जोनल विपणन प्रवर्तन अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
6	अधीक्षक अभियन्ता (सिविल)		इंजीनियरिंग की सम्बन्धित शाखा में कार्यकारी अभियन्ता के रूप में सात वर्ष का अनुभव ।	पचास प्रतिशत कार्यकारी अभियन्ताओं में से पदोन्नति द्वारा तथा पचास प्रतिशत किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन बोर्ड या निगम या किसी अभिकरण की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो कार्यकारी अभियन्ता के रूप में कम से कम सात वर्ष का अनुभव रखता हो ।

1	2	3	4	5
	1. अधीक्षक अभियन्ता			टिप्पणी :- यदि पदोन्नति कोटे के अधीन सेवा में कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।
7	अधीक्षक अभियन्ता (विद्युत)		इंजीनियरिंग की सम्बन्धित शाखा में कार्यकारी अभियन्ता के रूप में सात वर्ष का अनुभव।	कार्यकारी अभियन्ताओं में से पदोन्नति द्वारा तथा किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन बोर्ड या निगम या किसी अभिकरण की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो कार्यकारी अभियन्ता के रूप में कम से कम सात वर्ष का अनुभव रखता हो।
	अधीक्षक अभियन्ता (जनस्वास्थ्य)		इंजीनियरिंग की सम्बन्धित शाखा में कार्यकारी अभियन्ता के रूप में सात वर्ष का अनुभव।	टिप्पणी 1: यदि पदोन्नति कोटे के अधीन सेवा में कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा। टिप्पणी 2: नया सृजित अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) का पद पांच वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।
8	अधीक्षक अभियन्ता (जनस्वास्थ्य)		इंजीनियरिंग की सम्बन्धित शाखा में कार्यकारी अभियन्ता के रूप में सात वर्ष का अनुभव।	कार्यकारी अभियन्ताओं में से पदोन्नति द्वारा तथा किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन बोर्ड या निगम या किसी अभिकरण की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो कार्यकारी अभियन्ता के रूप में कम से कम सात वर्ष का अनुभव रखता हो।
				टिप्पणी 1: यदि पदोन्नति कोटे के अधीन सेवा में

1-	2	3	4	5
				कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।
				टिप्पणी 2: नया सृजित अधीक्षण अभियन्ता (जन स्वास्थ्य) का पद पांच वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।
9	उप महाप्रबन्धक (विपणन तथा निर्यात मण्डल)	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम0बी0ए0 विपणन सहित प्रथम श्रेणी स्नातक होना चाहिए। बी0एससी0 कृषि तथा कृषि विपणन या कृषि कारबार या समकक्ष में विशेषज्ञता सहित एम. बी.ए. को अधिमान दिया जाएगा; (ii) पोस्ट हारवैस्टिंग प्रबन्धन की विशेषज्ञता; तथा (iii) मैट्रिक तक हिन्दी/संस्कृत।	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम0बी0ए0 विपणन सहित प्रथम श्रेणी स्नातक होना चाहिए। बी0एससी0 कृषि तथा कृषि विपणन या कृषि कारबार या समकक्ष में विशेषज्ञता सहित एम.बी.ए. को अधिमान दिया जाएगा; (ii) पोस्ट हारवैस्टिंग प्रबन्धन की विशेषज्ञता; तथा (iii) मैट्रिक तक हिन्दी/संस्कृत।	सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या भारत सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
10.	उप महाप्रबन्धक (मण्डी अनुसंधान, पोस्ट हारवैस्टिंग प्रबन्धन तथा किसानों तथा बोर्ड कार्मिक को प्रशिक्षण)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम0एससी0 (कृषि) होना चाहिए; (ii) मैट्रिक तक हिन्दी/संस्कृत।	—	सीधी भर्ती द्वारा या किसी विभाग से स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो सीधी भर्ती की दशा में समरूप योग्यताएं रखता हों।
11	उप महाप्रबन्धक (गुण नियन्त्रण)	(i) एम0एससी0 या पोस्ट हारवैस्टिंग प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता सहित बागवानी/वनस्पति विज्ञान/खाद्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में पी0एचडी0 होना चाहिए।	—	सीधी भर्ती द्वारा या किसी विभाग से स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो सीधी भर्ती की दशा में समरूप योग्यताएं रखता हों।

1	2	3	4	5
		तकनीकी सक्षमता:- ग्रेडिंग तथा सोरटिंग लाइन सहित फलों तथा वनस्पतियों तथा पैक हाऊस की डिजाईनिंग तथा प्लानिंग के लिए मूल्य परिवर्धन, परीक्षण तथा प्रमाण पत्र प्रक्रिया (अर्थात् जैविक/ येरोगेप/ कोडक्स/ एच.ए.सी.सी.पी.);		
		(ii) विख्यात फर्म/ संस्था तथा उद्योग में कम से कम तीन वर्ष का हाथ का अनुभव; तथा ;		
		(iii) मैट्रिक तक हिन्दी/ संस्कृत।		
12	वास्तुकार	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री या वास्तुकला परिषद द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त तथा पंजीकृत भारतीय वास्तुकार संस्था से वास्तुकला में समकक्ष डिप्लोमा तथा विख्यात संस्था/ फर्म का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो; तथा	सहायक वास्तुकार के रूप में कम से कम सात वर्ष का अनुभव तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा रखता हो।	सीधी भर्ती द्वारा या किसी राज्य सरकार या बोर्ड/ निगम/ कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
		(ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/ संस्कृत।		
13	प्रशासकीय अधिकारी		अधीक्षक/ निजी सचिव के रूप में तीन वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।	अधीक्षकों तथा निजी सचिवों में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
				टिप्पण: अधीक्षक तथा निजी सचिव 4:1 के अनुपात में पदोन्नत होंगे।
				परन्तु निजी सचिव के संवर्ग से इस पद की कुल संख्या पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

1	2	3	4	5
14	जोनल विपणन प्रवर्तन अधिकारी	—	जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।	जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
15	कार्यकारी अभियन्ता (सिविल तथा गुण नियन्त्रण)	—	(i) उप मण्डल अभियन्ता (सिविल/गुण नियन्त्रण) के रूप में छह वर्ष का अनुभव ; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल में इंजीनियरिंग स्नातक / प्रौद्योगिकी स्नातक या इसके समकक्ष ; तथा (iii) बोर्ड द्वारा यथाविहित विभागीय परीक्षा पास की हो।	(i) सडसठ प्रतिशत उप मण्डल अभियन्ताओं में से पदोन्नति द्वारा; तथा (ii) तैतीस प्रतिशत राज्य सरकार या भारत सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
टिप्पणः— नए सृजित पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे जैसा कि ये पद सरकार की स्वीकृति के अनुसार दो वर्ष के बाद पुनरीक्षण के अधधीन हैं।				
16	कार्यकारी अभियन्ता (विद्युत)	—	(i) उप मण्डल अभियन्ता (विद्युत) के रूप में छह वर्ष का अनुभव; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की सम्बन्धित शाखा में इंजीनियरिंग स्नातक या इसके समकक्ष ; तथा (iii) बोर्ड द्वारा यथाविहित विभागीय परीक्षा पास की हो।	(i) सडसठ प्रतिशत उप मण्डल अभियन्ताओं में से पदोन्नति द्वारा; तथा ; (ii) तैतीस प्रतिशत राज्य सरकार या भारत सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
टिप्पणः— नए सृजित पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे				

1	2	3	4	5
17	कार्यकारी अभियन्ता (जनस्वास्थ्य)	-	(i) उप मण्डल अभियन्ता (जनस्वास्थ्य) के रूप में छह वर्ष का अनुभव ; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की सम्बन्धित शाखा में इंजीनियरिंग स्नातक या इसके समकक्ष ; तथा (iii) बोर्ड द्वारा यथाविहित विभागीय परीक्षा पास की हो ।	(i) पचास प्रतिशत उप मण्डल अभियन्ताओं में से पदोन्नति द्वारा ; तथा (ii) पचास प्रतिशत राज्य सरकार या भारत सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
18	परियोजना प्रबन्धक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय से विपणन / कृषि कारबार में कारबार प्रशासन के मास्टर सहित इंजीनियरिंग का प्रथम श्रेणी स्नातक / प्रोद्योगिकी स्नातक ; (ii) भारत सरकार / राज्य सरकार या कानूनी निकाय की कृषि आधारित संस्था या 10 करोड़ की वार्षिक आवर्त रखने वाले बड़े तथा मध्यम उद्योग में तीन वर्ष का अनुभव ; (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी / संस्कृत, तथा	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय से विपणन / कृषि कारबार में कारबार प्रशासन के मास्टर सहित इंजीनियरिंग स्नातक / प्रोद्योगिकी स्नातक की योग्यता रखने वाले सहायक परियोजना प्रबन्धक (सिविल, विद्युत, रैफरीजेशन, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।	सहायक परियोजना प्रबन्धकों (सिविल, विद्युत, रैफरीजेशन, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण) में से पदोन्नति द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन बोर्ड या निगम या किसी अभिकरण की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो सहायक परियोजना प्रबन्धक के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखता हो या सीधी भर्ती द्वारा ।

टिप्पणः— नए सृजित पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे जैसा कि ये पद सरकार की स्वीकृति के अनुसार दो वर्ष के बाद पुनरीक्षण के अधधीन हैं ।

टिप्पणीः— यदि पदोन्नति कोटे के अधीन सेवा में कोई पात्र उम्मीदवार

1	2	3	4	5
		(iv) कम्प्यूटर का ज्ञान।		उपलब्ध नहीं है। तो पद प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।
				टिप्पणी:— नया सृजित पद संविदा आधार पर या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा जैसा कि यह पद सरकार की स्वीकृति के अनुसार दो वर्ष के बाद पुनरीक्षण के अधधीन है। यदि व्यक्ति संविदा आधार पर लगाया जाता है, तो वह उसके लगाए जाने के निबन्धनों द्वारा शासित होगा; उसकी नियुक्ति किसी भी दशा में उसके लगाने के निबन्ध में से विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक अवधि के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी तथा सेवा नियम ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे।
19	सहायक परियोजना प्रबन्धक (सिविल)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीमड विश्वविद्यालय से विपणन/कृषि कारबार में कारबार प्रशासन के मास्टर सहित इंजीनियरिंग का प्रथम श्रेणी स्नातक/सिविल इंजीनियरिंग में/प्रौद्योगिकी स्नातक;	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीमड विश्वविद्यालय से विपणन/कृषि कारबार में कारबार प्रशासन के मास्टर सहित इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी स्नातक की योग्यता रखने वाले कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।	सीधी भर्ती द्वारा या कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) में से पदोन्नति द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन बोर्ड या निगम या किसी अभिकरण की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखता हो।
		(ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत; तथा		
		(iii) कम्प्यूटर का ज्ञान।		टिप्पणी:— नया सृजित पद संविदा आधार पर या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा जैसा कि यह पद सरकार की स्वीकृति के अनुसार दो वर्ष बाद पुनरीक्षण के

1	2	3	4	5
20	सहायक परियोजना प्रबन्धक (विद्युत)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीमड विश्वविद्यालय से विपणन /कृषि कारबार में कारबार प्रशासन के मास्टर सहित इंजीनियरिंग स्नातक या विद्युत या इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार इजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी स्नातक ; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत (iii) कम्प्यूटर का ज्ञान।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीमड विश्वविद्यालय से विपणन /कृषि कारबार में कारबार प्रशासन के मास्टर सहित इंजीनियरिंग स्नातक या विद्युत या इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार इजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी स्नातक की योग्यता रखने वाले कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।	अध्यधीन है । यदि व्यक्ति संविदा आधार पर लगाया जाता है, तो वह उसके लगाए जाने के निबन्धनों द्वारा शासित होगा ; उसकी नियुक्ति किसी भी दशा में उसके लगाने के निबन्ध में से विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक अवधि के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी तथा सेवा नियम ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे । कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) में से पदोन्नति द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन बोर्ड या निगम या किसी अभिकरण की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पणी 1 :- यदि पदोन्नति कोटे के अधीन सेवा में कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो पद प्रतिनियुक्ति द्वारा/ सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा । टिप्पणी 2:- नया सृजित पद संविदा आधार पर या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा जैसा कि यह पद सरकार की स्वीकृति के अनुसार दो वर्ष के बाद पुनरीक्षण के अधधीन है । यदि व्यक्ति संविदा आधार पर लगाया जाता है, तो वह उसके लगाए जाने के निबन्धनों द्वारा

1	2	3	4	5
				शासित होगा : उसकी नियुक्ति किसी भी दशा में उसके लगाने के निबन्ध में से विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक अवधि के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी तथा सेवा नियम ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे ।
21	सहायक परियोजना प्रबन्धक (रेफरीजरेशन)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीमड विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी स्नातक / मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी स्नातक;	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीमड विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग स्नातक/ विपणन में एम0बी0ए0 सहित मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी स्नातक की योग्यता रखने वाले कनिष्ठ अभियन्ता (मैकेनिकल) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।	कनिष्ठ अभियन्ता (मैकेनिकल) में से पदोन्नति द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन बोर्ड या निगम या किसी अभिकरण की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा ।
		(ii) 10 करोड़ की वार्षिक आवर्त रखने वाले बड़े तथा मध्यम उद्योग में दो वर्ष का अनुभव या रैफरीजरेशन तथा वातानुकूलन में पी0जी0डी ;		टिप्पणी 1 :- यदि पदोन्नति कोटे के अधीन सेवा में कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा ।
		(iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत; तथा;		टिप्पणी 2 :- नया सृजित पद संविदा आधार पर या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा जैसा कि यह पद सरकार की स्वीकृति के अनुसार दो वर्ष के बाद पुनरीक्षण के अधधीन है । यदि व्यक्ति संविदा आधार पर लगाया जाता है, तो वह उसके लगाए जाने के निबन्धनों द्वारा शासित होगा ; उसकी नियुक्ति किसी भी दशा में उसके लगाने के निबन्ध में से विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक अवधि के लिए नहीं
		(iv) कम्प्यूटर का ज्ञान ।		

1	2	3	4	5
				बढ़ाई जाएगी तथा सेवा नियम ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे ।
22	सहायक कृषि परियोजना प्रबन्धक (बागवानी)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीमड विश्वविद्यालय से विपणन/कृषि कारबार में कारबार प्रशासन का मास्टर या पचास प्रतिशत अंकों सहित कृषि में विज्ञान का मास्टर सहित कृषि (हानर्ज) में प्रथम श्रेणी विज्ञान स्नातक; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत; तथा (iii) कम्प्यूटर का ज्ञान ।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीमड विश्वविद्यालय से विपणन/कृषि कारबार में कारबार प्रशासन के मास्टर सहित कृषि में विज्ञान स्नातक या पचास प्रतिशत अंकों सहित कृषि में विज्ञान के मास्टर की योग्यता रखने वाले कनिष्ठ अभियन्ता बागवानी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।	कनिष्ठ अभियन्ता (बागवानी) में से पदोन्नति द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन बोर्ड या निगम या किसी अभिकरण की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पणी :- नया सृजित पद संविदा आधार पर या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा जैसा कि यह पद सरकार की स्वीकृति के अनुसार दो वर्ष के बाद पुनरीक्षण के अध्वधीन है । यदि व्यक्ति संविदा आधार पर लगाया जाता है, तो वह उसके लगाए जाने के निबन्धनों द्वारा शासित होगा ; उसकी नियुक्ति किसी भी दशा में उसके लगाने के निबन्ध में से विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक अवधि के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी तथा सेवा नियम ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे ।
23	सहायक कृषि परियोजना प्रबन्धक (खाद्य प्रसंस्करण)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीमड विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग का प्रथम श्रेणी स्नातक या खाद्य प्रसंस्करण / खाद्य प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी का स्नातक या पचास प्रतिशत अंकों सहित खाद्य प्रौद्योगिकी / खाद्य प्रौद्योगिकी में विज्ञान का मास्टर ; (ii) भारत सरकार/राज्य सरकार बोर्ड/निगम/ बड़े तथा	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीमड विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग का प्रथम श्रेणी स्नातक या खाद्य प्रसंस्करण / खाद्य प्रौद्योगिकी का स्नातक या पचास प्रतिशत अंकों सहित खाद्य प्रसंस्करण/खाद्य प्रौद्योगिकी में विज्ञान का मास्टर;	किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन बोर्ड या निगम या किसी अभिकरण की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पणी :- नया सृजित पद संविदा आधार पर

1	2	3	4	5
		(ii) भारत सरकार / राज्य सरकार बोर्ड / निगम / बड़े तथा मध्यम उद्योग में सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव ; तथा	मध्यम उद्योग में सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव ; तथा	या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा जैसा कि यह पद सरकार की स्वीकृति के अनुसार दो वर्ष के बाद पुनरीक्षण के अधधीन है । यदि व्यक्ति संविदा आधार पर लगाया जाता है, तो वह उसके लगाए जाने के निबन्धनों द्वारा शासित होगा ; उसकी नियुक्ति किसी भी दशा में उसके लगाने के निबन्ध में से विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक अवधि के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी तथा सेवा नियम ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे ।
		(iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी / संस्कृत	(iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी / संस्कृत ।	
24	सहायक वास्तुकार	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री या वास्तुकला परिषद द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त तथा पंजीकृत भारतीय वास्तुकार संस्था से वास्तुकला में समकक्ष डिप्लोमा तथा विख्यात संस्था / फर्म में कम से कम चार वर्ष का अनुभव रखता हो;	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री की दशा में तीन वर्ष का अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से वास्तुशिल्पीय असिस्टेन्टशिप में तीन वर्ष का डिप्लोमा रखने वाले की दशा में पांच वर्ष के अनुभव सहित वास्तुशिल्पीय सहायक ।	सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा या वास्तुशिल्पीय सहायक में से पदोन्नति द्वारा ।
		(ii) कम्प्यूटर पर वास्तुशिल्पीय ड्राईंग का कार्य करने का अनुभव; तथा		
		(iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी / संस्कृत ।		
25	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	—	चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट / कास्ट लेखाकार (आई सी डब्ल्यू ए) या तीन वर्ष के अनुभव सहित लेखा अधिकारी, राज्य लेखा सेवा (एस0ए0एस0)	लेखा अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

1	2	3	4	5
26.	जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातक ; (ii) विपणन या वित्त में कारबार प्रशासन का मास्टर ; (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ; तथा (iv) कम्प्यूटर का ज्ञान।	कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।	(i) बीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या भारत सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी का स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा; तथा (ii) अरसी प्रतिशत कार्यकारी अधिकारी एवं सचिवों में से पदोन्नति द्वारा।
27	उप मण्डल अभियन्ता (सिविल, विद्युत, जनस्वास्थ्य, मैकेनिकल, गुण नियन्त्रण)	इंजीनियरिंग की सम्बन्धित शाखा में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डीमड विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी सहित सिविल / विद्युत / इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार में इंजीनियरिंग स्नातक / प्रौद्योगिकी स्नातक या इसके समकक्ष तथा मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।	कनिष्ठ अभियन्ता / परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार / मुख्य प्रारूपकार / सहायक प्रारूपकार के रूप में दस वर्ष के अनुभव सहित सिविल, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा।	(क) सीधी भर्ती द्वारा; तथा 40% (ख) पदोन्नति द्वारा — — (i) कनिष्ठ अभियन्ताओं में से; 40% (ii) परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार में से; 6.67% (iii) सहयुक्त सदस्य इंजीनियरिंग संस्था या 10.33% इंजीनियरिंग स्नातक की योग्यता रखने वाले कनिष्ठ अभियन्ता में से; (iv) सहयुक्त सदस्य इंजीनियरिंग संस्था या 3% इंजीनियरिंग स्नातक की योग्यता रखने वाले मुख्य प्रारूपकार / सहायक प्रारूपकार में से टिप्पण 1: यदि स्रोत (iii) तथा (iv) से कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो रिक्ति सीधी भर्ती से भरी जाएगी। टिप्पण 2: यदि स्रोत (क) या स्रोत (ख) के (ii) से कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तथा व्यक्ति जो आंबटित स्रोत से भिन्न अस्थायी प्रबन्ध के रूप में लोक

1	2	3	4	5
				द्वित में नियुक्त किया गया है, तो ऐसा कर्मचारी जब आंबटित स्रोत से उम्मीदवार उपलब्ध है, तो वह अपने मूल संवर्ग में लोट आने के लिए दायी होगा तथा ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई सेवा की अवधि वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए नहीं गिनी जाएगी।
28	उप मण्डल अभियन्ता (भू-दृश्य-निर्माण)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय (जो वास्तुकला परिषद् से पंजीकृत हो) से प्रथम श्रेणी में वास्तुकला स्नातक होना चाहिए ; (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भू-दृश्य-निर्माण, डिजाइन में स्नातकोत्तर या समकक्ष डिग्री रखता हो ; (iii) दसवीं तक हिन्दी/संस्कृत।	दस वर्ष के अनुभव सहित कनिष्ठ अभियन्ता (भू-दृश्य-निर्माण)	
29	सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में विपणन या वित्त में कारबार मास्टर सहित 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक ; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी संस्कृत का ज्ञान, तथा (iii) कम्प्यूटर का मूल ज्ञान।	सहायक सचिव/इलैक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रौसेसिंग सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।	(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या भारत सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ; तथा (ii) पचास प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ; (क) अड़तालीस प्रतिशत सहायक सचिवों में से; तथा (ख) दो प्रतिशत इलैक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रौसेसिंग सहायक में से। टिप्पण:- इलैक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रौसेसिंग सहायक के लिए दो प्रतिशत की व्यवस्था केवल

1	2	3	4	5
				वर्तमान पदधारियों के लिए है। उसके बाद ये पद केवल सहायक सचिवों में से भरे जाएंगे।
30	सहायक महाप्रबन्धक (विपणन तथा निर्यात मण्डल)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी सहित बी.एस.सी. (हानर्स)/ कृषि विपणन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित द्वितीय श्रेणी में कृषि / अर्थ / कृषि विज्ञान में एम.एस.सी. कृषि / कृषि विपणन/कृषि कारबार में विशेषज्ञता या इसके समकक्ष को अधिमान दिया जाएगा ; (ii) पोस्ट हारवैस्टिंग प्रबन्धन में विशेषज्ञता ; तथा (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी, संस्कृत का ज्ञान ।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी सहित बी.एस.सी.(हानर्स)/ कृषि विपणन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित द्वितीय श्रेणी में कृषि / अर्थ / कृषि विज्ञान में एम एस सी कृषि/ कृषि विपणन/कृषि कारबार में विशेषज्ञता या इसके समकक्ष को अधिमान दिया जाएगा ; (ii) पोस्ट हारवैस्टिंग प्रबन्धन में विशेषज्ञता ; तथा (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी संस्कृत का ज्ञान ।	सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या भारत सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
31	पुस्तकाध्यक्ष	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान /सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी /संस्कृत; तथा (iii) सामान्य रूप से, प्रयुक्त लाईब्रेरी / साफ्टवेयर का कार्य करने का ज्ञान	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर;	सीधी भर्ती द्वारा या किसी राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
32	वास्तुशिल्पीय सहायक		वरिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकला) के रूप में चार वर्ष का अनुभव ।	वरिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकला) में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
33	निजी सचिव		निजी सहायक के रूप में एक वर्ष का अनुभव या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में दस वर्ष का अनुभव ।	निजी सहायक /वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा

1	2	3	4	5
				में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
34	लेखा अधिकारी	(i) चार्टर्ड अकाउटेन्ट ; सहायक लेखा अधिकारी / अनुभाग अधिकारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव । (ii) भारतीय कास्ट कार्य लेखाकार (आई सीडब्ल्यूए.) ; या (iii) लेखा कार्य में सात वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य का प्रथम श्रेणी मास्टर ।	(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ; (ii) पचास प्रतिशत सहायक लेखा अधिकारियों/अनुभाग अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा ।	
35	अधीक्षक	—	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक सहित उप अधीक्षक के रूप में दो वर्ष/सहायक के रूप में दस वर्ष का अनुभव या निजी सहायक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।	उप अधीक्षक/सहायक/निजी सहायक में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
				टिप्पणः— उप अधीक्षक /सहायक तथा निजी सहायक 6:1 के अनुपात में पदोन्नत किये जाएंगे परन्तु तीसरा पद निजी सहायक को जाएगा । निजी सहायक के काडर से इस पद पर कुल संख्या पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।
36	सहायक लेखा अधिकारी /अनुभाग अधिकारी	(i) किसी विख्यात फर्म या चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट /आई.सी.डब्ल्यू.सी.ए. से पांच वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से	(i) मण्डल लेखाकार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; या (ii) राज्य सरकार या भारत सरकार से राज्य लेखा सेवा (एस0ए0एस0)	(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; (ii) पचास प्रतिशत मण्डल लेखाकार में से पदोन्नति या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या बोर्ड या

1	2	3	4	5
		प्राप्त विश्वविद्यालय से पचपन प्रतिशत अंको सहित वाणिज्य में स्नातकोत्तर; तथा		निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
		(ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत !		
37	मण्डल लेखाकार	किसी विख्यात फर्म से तीन वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पचपन प्रतिशत अंको सहित वाणिज्य में स्नातकोत्तर ।	(i) राज्य लेखा सेवा (एस.ए.एस); या दस वर्ष के अनुभव सहित बी.काम. की योग्यता रखने वाले उप मण्डल लिपिक/लेखा लिपिक/लेखा परीक्षक ; या (ii) 31.12.1990 से पूर्व सीधे रूप से भर्ती स्नातक उप मण्डल लिपिक /लेखा लिपिक/लेखा परीक्षक ।	(i) तैंतीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या किसी राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ; (ii) सड़सठ प्रतिशत लेखा लिपिक/ उप मण्डल लिपिक/ लेखा परीक्षको में से पदोन्नति द्वारा ।
38	वरिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकार)	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री या वास्तुकला परिषद द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त तथा पंजीकृत भारतीय वास्तुकार संस्था से वास्तुकला में समकक्ष डिप्लोमा तथा विख्यात संस्था/फर्म में कम से कम चार वर्ष का अनुभव रखता हो ; (ii) सामान्य रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर प्रयुक्त वास्तुशिल्पीय ड्राईंग उपयोग करते हुए कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान; तथा (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ।	कनिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकला) के रूप में चार वर्ष का अनुभव ।	पचास प्रतिशत सीधी भर्ती तथा पचास प्रतिशत कनिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकला) में से पदोन्नति द्वारा या राज्य या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

1	2	3	4	5
39	वाणिज्यिक लेखाकार	डिमीनिसिंग संवर्ग		
40	परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार	—	मुख्य प्रारूपकार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।	मुख्य प्रारूपकार में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
41	कनिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकला)	(i) योग्यता प्राप्त करने के बाद दो वर्ष के अनुभव सहित वास्तुशिल्पीय असि सर्टिफिकेट में डिप्लोमा ; (ii) सामान्य रूप से कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर पर प्रयुक्त वास्तुशिल्पीय ड्राईंग उपयोग करते हुए कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान; तथा (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ।	सहायक प्रारूपकार के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ।	सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा या पदोन्नति द्वारा ।
42	निजी सहायक	—	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव तथा बोर्ड द्वारा यथाविहित विभागीय परीक्षा पास होनी चाहिए ।	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
43	उप अधीक्षक	—	सहायक के रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव ।	सहायकों में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
44	सहायक सचिव	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंकों सहित किसी स्त्री में स्नातक; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ; (iii) कम्प्यूटर का कार्य करने का ज्ञान;	लेखाकार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव या मण्डी पर्यवेक्षक के रूप में सात वर्ष का अनुभव जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर का बेसिक ज्ञान का प्रमाण पत्र रखता हो ।	(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, या राज्य सरकार या भारत सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के

1	2	3	4	5
		(iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था / बोर्ड से कृषि/ विपणन या कृषि कारबार में डिप्लोमा / डिग्री को अधिमान दिया जाएगा।		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ii) पन्द्रह प्रतिशत लेखाकारों में से पदोन्नति द्वारा ; या (iii) पैंतीस प्रतिशत मण्डी पर्यवेक्षक में से पदोन्नति द्वारा ।
45	कृषि कारबार प्रबन्धक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में विज्ञान स्नातक, (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीमड विश्वविद्यालय से कारबार प्रशासन का मास्टर/ कारबार प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या इसके समकक्ष ; तथा (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में विज्ञान स्नातक; तथा (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीमड विश्वविद्यालय से कारबार प्रबन्धन में कारबार का मास्टर/स्नातकोत्तर डिप्लोमा या इसके समकक्ष ; तथा	सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
46	मुख्य प्रारूपकार (सिविल/विद्युत)		सम्बन्धित क्षेत्र में सहायक प्रारूपकार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।	सहायक प्रारूपकार में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
47	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/ विद्युत/मैकेनिकल/ जन स्वास्थ्य/ गुण नियन्त्रण)	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग की सम्बन्धित शाखा में सिविल, इलैक्ट्रीकल, इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरिंग में डिग्री या तीन वर्ष का डिप्लोमा ; तथा (ii) कम्प्यूटर का कार्य करने का ज्ञान ; तथा (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ।	इंजीनियरिंग की सम्बन्धित शाखा में डिप्लोमा किन्तु इलैक्ट्रीशियन से कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) की पदोन्नति की दशा में केवल इलैक्ट्रीशियन जो इलैक्ट्रीशियन /वायरमैन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र सहित मैट्रिक हो या इसके समकक्ष ट्रेड में इलैक्ट्रीशियन के रूप में पन्द्रह वर्ष की सेवा रखता हो तथा बोर्ड द्वारा यथाविहित विभागीय परीक्षा पास की हो, पदोन्नति के लिए पात्र होगा ।	सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा । टिप्पणः— कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के 10 प्रतिशत पद बोर्ड के इलैक्ट्रीशियन/वायरमैन या इसके समकक्ष में से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे ।

1	2	3	4	5
48	कनिष्ठ अभियन्ता (भू-दृश्य-निर्माण)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में डिग्री तथा दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ; तथा (ii) कम्प्यूटर का कार्य करने का ज्ञान ।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में डिग्री तथा ग्रुप ग में बोर्ड सेवा का तीन वर्ष का अनुभव रखता हों ।	सीधी भर्ती द्वारा; या ग्रुप ग कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
49	इलैक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग सहायक	(i) एक पेपर के रूप में सांख्यिकीय सहित सांख्यिकीय या अर्थ या गणित या वाणिज्य में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या स्नातक डिग्री स्तर पर एक पेपर के रूप में सांख्यिकीय सहित कम्प्यूटर अपलीकेशन का मास्टर (ii) डाटा प्रोसेसिंग प्रयुक्त कम्प्यूटर साफ्टवेयर में प्रवीण होना चाहिए; (iii) कम्प्यूटर पर डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करने का ज्ञान; तथा (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ।	(i) एक पेपर के रूप में सांख्यिकीय सहित सांख्यिकीय या अर्थ या गणित या वाणिज्य में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या स्नातक डिग्री स्तर पर एक पेपर के रूप में सांख्यिकीय सहित कम्प्यूटर अपलीकेशन का मास्टर ; (ii) डाटा प्रोसेसिंग प्रयुक्त कम्प्यूटर साफ्टवेयर में प्रवीण होना चाहिए;	अर्थ तथा सांख्यिकीय संगठन, हरियाणा के किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा । अनउपलब्धता की दशा में ये पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे !
50	कानूनगो	डिमीनिसिंग संवर्ग		
51	सहायक प्रारूपकार (वास्तुकार)	डिमीनिसिंग संवर्ग		
52	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष ; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी /संस्कृत का ज्ञान; (iii) हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति तथा मैनुअल टाईपराईटर पर 15 शब्द प्रतिमिनट की गति या सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्द प्रौसैसिंग	(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में एक वर्ष का अनुभव; (ii) हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति तथा मैनुअल टाईपराईटर पर 15 शब्द प्रति मिनट की गति या सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्द प्रौसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 25 शब्द प्रति	(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या भारत सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ; तथा

1	2	3	4	5
		साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 25 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन।	मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन।	(ii) पचास प्रतिशत कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा।
		(iv) अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति तथा मैनुअल टाईपराईटर पर 20 शब्द प्रति मिनट की गति या सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्द प्रौसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 40 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन।	(iii) अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति तथा मैनुअल टाईपराईटर पर 20 शब्द प्रतिमिनट की गति या सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्द प्रौसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 40 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन।	
53	सहायक	(i) 55 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ; किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कम्प्यूटर अप्लीकेशन (पीओजीओडीओसीओएओ) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; तथा	उप मण्डल लिपिक / लेखा लिपिक/लेखा परीक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव तथा स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की दशा में सरकार/स्थानीय निकाय/निगम के "ए" श्रेणी के कार्यालय में पांच वर्ष का अनुभव रखता हो।	(i) तैतीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ; तथा
		(ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।		(ii) सडसउ प्रतिशत उ प म ण ड ल लिपिक / लेखा लिपिकों / लेखा परीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा।
54	लेखाकार (विपणन समितियाँ)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंकों के साथ वाणिज्य स्नातक ;	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50 प्रतिशत अंकों के साथ वाणिज्य स्नातक सहित मण्डी पर्यवेक्षक/नीलामी रिकार्डर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।	(i) नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
		(ii) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर कोर्स में छह मास का प्रमाण पत्र; तथा		(ii) दस प्रतिशत मण्डी पर्यवेक्षक / नीलामी रिकार्डर में से पदोन्नति द्वारा।
		(iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।		

1	2	3	4	5
55	प्रारूपकार आटो कैड	(i) किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी बोर्ड से प्रथम श्रेणी से सिविल प्रारूपकार में दो वर्ष का डिप्लोमा ; (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आटो कैड में डिप्लोमा / प्रमाण पत्र; तथा (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी / संस्कृत ।	(i) किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से प्रथम श्रेणी से सिविल प्रारूपकार में दो वर्ष का डिप्लोमा ; (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आटो कैड में डिप्लोमा / प्रमाण पत्र; तथा (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी / संस्कृत ।	सीधी भर्ती द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन बोर्ड या निगम या किसी अभिकरण की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
56	सहायक प्रारूपकार (सिविल, गुण नियन्त्रण, जन स्वास्थ्य, विद्युत, मैकेनिकल)	(i) किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित डिप्लोमा में इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था से सम्बन्धित डिप्लोमा में प्रारूपकार में दो वर्ष का प्रमाण पत्र ; तथा (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आटो कैड में डिप्लोमा / प्रमाण पत्र ; तथा (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी / संस्कृत ।	मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित डिप्लोमा में इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था से सम्बन्धित डिप्लोमा में प्रारूपकार में दो वर्ष का प्रमाण पत्र ।	सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
57	मण्डी पर्यवेक्षक एवं फीस कलक्टर	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक सहित मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में छह मास का प्रमाण पत्र; तथा (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी / संस्कृत ।	नीलामी रिकार्डर के रूप में सात वर्ष का अनुभव ।	(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या भारत सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ; तथा (ii) पचास प्रतिशत नीलामी रिकार्डर में से पदोन्नति द्वारा ।

1	2	3	4	5
58	लेखा लिपिक / उप मण्डल लिपिक	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंकों के साथ वाणिज्य स्नातक; (ii) मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में छह मास का प्रमाण पत्र; तथा (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।	लिपिक के रूप में तीन वर्ष के अनुभव सहित स्नातक या लिपिक के रूप में सात वर्ष के अनुभव सहित दसवीं।	(i) तैतीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा (ii) सडसठ प्रतिशत लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
59	लेखा-परीक्षक	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पचपन प्रतिशत अंकों के साथ वाणिज्य में स्नातकोत्तर सहित विख्यात फर्म से तीन वर्ष का अनुभव; तथा (ii) कंप्यूटर का कार्य करने का ज्ञान; तथा (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पचपन प्रतिशत अंकों के साथ वाणिज्य में स्नातकोत्तर सहित विख्यात फर्म में तीन वर्ष का अनुभव; तथा (ii) कंप्यूटर का कार्य करने का ज्ञान; तथा (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।	सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
60	सहायक अग्नि उप अधिकारी	-	दसवीं तथा लीडिंग फायरमैन के रूप में राष्ट्रीय अग्नि सेवा से उप अधिकारी के कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए।	लीडिंग फायरमैन में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या भारत सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
61	पलम्बर	पलम्बर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र सहित दसवीं या इसके समकक्ष व्यवसाय।	पलम्बर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र सहित दसवीं या इसके समकक्ष व्यवसाय।	अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन बोर्ड या निगम या किसी अभिकरण की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा बीस प्रतिशत गुप्त कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा।

टिप्पणी :- यदि पदोन्नति कोटे के अधीन सेवा में

1	2	3	4	5
				कोंई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो पद प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।
62	इलैक्ट्रीशियन	इलैक्ट्रीशियन/वायरमैन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र सहित दसवीं या इसके समकक्ष।	इलैक्ट्रीशियन/वायरमैन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र सहित दसवीं या इसके समकक्ष।	अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन बोर्ड या निगम या किसी अभिकरण की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा या बीस प्रतिशत गुण्य कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा।
				टिप्पणी :- यदि पदोन्नति कोटे के अधीन सेवा में कोंई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो पद प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।
63	मोटर मैकेनिक	डिमोनिशिंग संवर्ग		
64	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष ; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ; (iii) हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति तथा मैनुअल टाइपराईटर पर 15 शब्द प्रति मिनट की गति या सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्द प्रौसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 25 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; तथा (iv) अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की	(i) अंशुटकक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; (ii) हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति तथा मैनुअल टाइपराईटर पर 15 शब्द प्रति मिनट की गति या सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्द प्रौसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 25 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; तथा (iii) अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति तथा मैनुअल टाइपराईटर पर शब्द 20 प्रति मिनट की गति या सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्द प्रौसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 40 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन।	(i) चालीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा (ii) साठ प्रतिशत कनिष्ठ वेतनमान आशुटकक में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

1	2	3	4	5
		गति तथा मैनुअल टाईपराईटर पर 20 शब्द प्रति मिनट की गति या सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्द प्रौसैसिंग साफ्टवेयर सहित कंप्यूटर पर 40 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।		
65	चालक संचालक	डिमीनिसिंग संवर्ग	आटोमोबाईल ईंजन तथा पम्प के फायरमैन में से पदोन्नति ज्ञान सहित चालन में बहुत दक्ष द्वारा ! होना चाहिए तथा भारी वाहन चालन की अनुज्ञप्ति रखता हो तथा फायरमैन के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ।	
66	लीडिंग फायरमैन	डिमीनिसिंग संवर्ग	दसवीं तथा फायरमैन के रूप में कम से कम पांच वर्ष के अनुभव सहित लीडिंग फायरमैन को पदोन्नति के लिए अर्हक विभागीय परीक्षा वाले अग्नि शमन की ड्यूटी तथा प्रेक्टिस तथा बचाव में दक्ष होना चाहिए ।	संविदा आधार पर ।
67	चालक	क. भारी परिवहन वाहन के लिए:- (i) मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से हिन्दी/संस्कृत से दसवीं ; (ii) भारी परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति ; तथा (iii) भारी परिवहन वाहन चालन का पांच वर्ष का अनुभव । ख. हल्का मोटर वाहन के लिए:- (i) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से हिन्दी सहित दसवीं ; (ii) हल्का मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति ; तथा (iii) हल्का परिवहन वाहन चालन का पांच वर्ष का अनुभव ।	क. भारी परिवहन वाहन के लिए :- (i) मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से हिन्दी/ संस्कृत से दसवीं ; (ii) भारी परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति ; तथा (iii) ग्रुप ग या घ पदों पर भारी परिवहन वाहन का चालन का पांच वर्ष का अनुभव । ख. हल्का मोटर वाहन के लिए:- (i) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से हिन्दी/संस्कृत सहित दसवीं (ii) हल्का मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति ; तथा (iii) ग्रुप ग या घ पदों पर हल्का परिवहन वाहन के चालन का पांच वर्ष का अनुभव ।	(i) साठ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या बोर्ड या निगम या किसी अभिकरण की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ; तथा (ii) ब्रालीस प्रतिशत बोर्ड/मार्केट समितियों के ग्रुप ग तथा घ के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा । ग्रुप ग तथा घ के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अर्हक अधिकतम आयु पैंतालीस वर्ष तक प्रतिबद्ध होगी ।
				टिप्पण: पदोन्नति कोटा से किसी व्यक्ति की

1	2	3	4	5
				अनुपलब्धता की दशा में पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा ।
68	पटवारी	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष; तथा (ii) राजस्व विभाग, हरियाणा द्वारा आयोजित पटवार परीक्षा पास हो ।	—	सीधी भर्ती द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या किसी अभिकरण की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
69	कम्प्यूटर ऑपरेटर कम लिपिक	(i) कम्प्यूटर एप्लीकेशन स्नातक या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पी0जी0डी0सी0ए0 का डिप्लोमा रखने वाले किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ।	—	सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या भारत सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
70	लिपिक	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान; (iii) हिन्दी तथा अंग्रेजी में क्रमशः 25 तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाईप या सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्द प्रौसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर क्रमशः 35 तथा 40 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी तथा अंग्रेजी टाईप;	(i) बोर्ड के ग्रुप घ पद पर सात वर्ष के अनुभव सहित दसवीं; तथा कर्मचारी जो इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से पूर्व भर्ती हुए हैं के लिए मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ; (ii) बोर्ड के ग्रुप घ में सात वर्ष के अनुभव सहित स्नातक तथा इन नियमों की अधिसूचना की तिथि को या बाद में ग्रुप घ पद पर भर्ती कर्मचारियों के लिए मैट्रिक तक हिन्दी/संस्कृत/ नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर हिन्दी या अंग्रेजी में या मैनुअल टाईप मशीन पर क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति से या सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्द प्रौसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 35/40 शब्द प्रति मिनट की गति से विहित परीक्षा पास	(i) अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या किसी राज्य सरकार या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा , (ii) बीस प्रतिशत बोर्ड के ग्रुप घ कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ।

1	2	3	4	5
			करनी होगी जिसमें असफल होने पर उसे तब तक वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक वह विहित टाईप परीक्षा पास नहीं करता। टाईप परीक्षा पास करने पर उसे देय वेतन वृद्धि बिना बकायों के अनुज्ञात होगी।	
71	डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर	डिमीनिसिंग संवर्ग	डिमीनिसिंग संवर्ग	—
72	बस चालक	डिमीनिसिंग संवर्ग	—	—
73	रैस्टोरर	डिमीनिसिंग संवर्ग	डिमीनिसिंग संवर्ग	—
74	आशुलिक	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष ; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान; (iii) हिन्दी आशुलिपि में 64 शब्द प्रति मिनट की गति तथा मैनुअल टाईपराईटर पर 11 शब्द प्रतिमिनट की गति या सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्द प्रौसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; (iv) अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति तथा मैनुअल टाईपराईटर पर 15 शब्द प्रति मिनट की गति या सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्द प्रौसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 35 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन।	(i) लिपिक के रूप में एक वर्ष का अनुभव; किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्ष का डिप्लोमा ; तथा (ii) हिन्दी आशुलिपि में 64 शब्द प्रति मिनट की गति तथा मैनुअल टाईपराईटर पर 11 शब्द प्रतिमिनट की गति या सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्द प्रौसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन। (iii) अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति तथा मैनुअल टाईपराईटर पर 15 शब्द प्रतिमिनट की गति या सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्द प्रौसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 35 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन।	(i) अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा (ii) बीस प्रतिशत लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
75	फायरमैन	डिमीनिसिंग संवर्ग	—	—

1	2	3	4	5
76	नीलामी रिकार्डर	(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में छह मास के प्रमाण पत्र सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक या इसके समकक्ष ; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान ।	(i) मण्डी समितियों के ग्रुप घ में सात वर्ष की सेवा सहित मैट्रिक; तथा कर्मचारी जो इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से पूर्व भर्ती हुए हैं के लिए मैट्रिक स्तर तक हिन्दी / संस्कृत ; (ii) मण्डी समितियों के ग्रुप घ में सात वर्ष की सेवा सहित स्नातक तथा इन नियमों की अधिसूचना की तिथि को या बाद में भर्ती कर्मचारियों के लिए मैट्रिक स्तर तक हिन्दी / संस्कृत ।	(i) अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ; (ii) बीस प्रतिशत मण्डी समितियों के ग्रुप घ कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ।
77	नलकूप संचालक	डिमीनिसिंग संवर्ग		
78	दफ्तरी	हिन्दी सहित मिडल पास	हिन्दी सहित मिडल पास	सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
79	जमादार	हिन्दी सहित मिडल पास	हिन्दी सहित मिडल पास	सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
80	रोड रोलर क्लीनर	हिन्दी सहित मिडल पास	हिन्दी सहित मिडल पास	सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
81	माली	हिन्दी सहित मिडल पास	हिन्दी सहित मिडल पास	सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
82	फैरो खलासी	हिन्दी सहित मिडल पास	हिन्दी सहित मिडल पास	सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

1	2	3	4	5
83	स्वीपर	हिन्दी सहित मिडल पास	हिन्दी सहित मिडल पास	सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
84	सेवादार एवं चौकीदार	हिन्दी सहित मिडल पास	हिन्दी सहित मिडल पास	सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
85	ट्रक क्लीनर	हिन्दी सहित मिडल पास	हिन्दी सहित मिडल पास	सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

7. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ग के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“परिशिष्ट ग

{देखिए नियम 16 (1)}

क्रम संख्या	पदनाम	शास्ति का स्वरूप	शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	नियन्त्रक वित्त तथा लेखा	छोटी शास्तियाँ :	सरकार	-
2	प्रमुख अभियन्ता	(क) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति		
3	मुख्य अभियन्ता	रखते हुए चेतावनी;		
4	मुख्य विपणन प्रवर्तन अधिकारी	(ख) परिनिन्दा ;		
5	विपणन विकास अधिकारी	(ग) पदोन्नति रोकना;		
6	अधीक्षक अभियन्ता (सिविल, सतर्कता तथा गुण नियन्त्रण (सिविल)	(घ) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा बोर्ड/ मण्डी समिति को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ;		
7	अधीक्षक अभियन्ता (विद्युत)	(ङ) संघर्षी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियाँ रोकना;		
8	अधीक्षक अभियन्ता (जन स्वास्थ्य)	बड़ी शास्तियाँ:	प्रशासकीय समिति	सरकार
9	उप महाप्रबन्धक (विपणन तथा निर्यात मण्डल)	(च) संघर्षी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियाँ रोकना;		
		(छ) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित, कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियाँ अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियाँ स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;		
10	उप महाप्रबन्धक (मण्डी अनुसन्धान, पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रबन्धन तथा किसानों तथा बोर्ड कार्मिक को प्रशिक्षण)	(ज) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उत्त समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतय: रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा;		
11	उप महाप्रबन्धक (गुण नियन्त्रक)			
12	वास्तुकार			
13	प्रशासकीय अधिकारी			
14	जोनल विपणन प्रवर्तन अधिकारी			
15	कार्यकारी अभियन्ता (सिविल)			
16	कार्यकारी अभियन्ता (विद्युत)			
17	कार्यकारी अभियन्ता (जन स्वास्थ्य)	(झ) अनिवार्य सेवा निवृत्ति;		
18	परियोजना प्रबन्धक	(ञ) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निर्हता नहीं होगी ;		

1	2	3	4	5
19	सहायक परियोजना प्रबन्धक (सिविल)	(ट)	सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निर्हता होगी ।	
20	सहायक परियोजना प्रबन्धक (विद्युत)			
21	सहायक परियोजना प्रबन्धक (रैफरीजेशन)	छोटी शास्तियां :		
22	सहायक कृषि परियोजना प्रबन्धक (बागवानी)	(क)	वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी;	
23	सहायक कृषि परियोजना प्रबन्धक (खाद्य प्रोसेसिंग)	(ख)	प्रारेनिन्दा ;	
24	सहायक वास्तुकार	(ग)	पदोन्नति रोकना ;	
25	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	(घ)	उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा बोर्ड/मण्डी समिति को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ;	
26	जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी	(ङ)	संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना;	
27	उप मण्डल अभियन्ता (सिविल, विद्युत, जन स्वास्थ्य, मैकेनिकल, गुण नियन्त्रक)	बड़ी शास्तियां:		
28	उप मण्डल अभियन्ता (सू-दृश्य-निर्माण)	(च)	संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना;	
29	सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	(छ)	किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित, कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;	
30	सहायक महाप्रबन्धक (विपणन तथा निर्यात मण्डल)	(ज)	निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा;	
31	पुस्तकालयाध्यक्ष	(झ)	अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;	
32	वास्तुशिल्पीय सहायक	(ञ)	सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निर्हता नहीं होगी ;	
33	निजी सचिव			
34	लेखा अधिकारी			
35	अधीक्षक			
36	सहायक लेखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी			
37	मण्डल लेखाकार			
38	वरिष्ठ प्रारूपकार वास्तुकार			
39	वाणिज्यिक लेखाकार			
40	परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार			
41	कनिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकार)			
42	निजी सहायक			
34	उप अधीक्षक			
44	सहायक सचिव			
45	कृषि कारबार प्रबन्धक			
46	मुख्य प्रारूपकार (सिविल/विद्युत)	(ट)	सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निर्हता होगी ।	
47	कनिष्ठ अभियन्ता, (सिविल/विद्युत/मैकेनिकल/जन स्वास्थ्य/गुण नियन्त्रण)			

1	2	3	4	5
48	कनिष्ठ अभियन्ता (भू-दृश्य-निर्माण)			
49	इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सहायक			
50	कानूनगो			
51	सहायक प्रारूपकार (वास्तुकार)			
52	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक			
53	सहायक			
54	लेखाकार (मण्डी समिति)			
55	प्रारूपकार आटो कैड			
56	सहायक प्रारूपकार			
57	मण्डी पर्यवेक्षक एवं फीस कलक्टर			
58	लेखा लिपिक/उप मण्डल लिपिक			
59	लेखा परीक्षक			
60	सहायक अग्नि उप अधिकारी			
61	पलम्बर			
62	इलैक्ट्रीशियन			
63	मोटर मैकेनिक			
64	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक			
65	चालक संचालक			
66	लीडिंग फायरमैन			
67	चालक			
68	पटवारी			
69	कम्प्यूटर संचालक एवं लिपिक			
70	लिपिक			
71	डुटलीकेटिंग मशीन संचालक			
72	बस परिचालक			
73	रैस्टोरर			
74	आशुटंकक			
75	फायरमैन			
76	नीलामो रिकार्डर			
77	नलकूप संचालक			
78	दफ्तरी			
79	जमादार			
80	रोड रोलर क्लीनर			

छोटी शास्तियां :

सचिव

मुख्य प्रशासक"।

(क) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ;

(ख) परिनिन्दा ;

(ग) पदोन्नति रोकना;

(घ) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा बोर्ड/मण्डी समिति को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ;

(ङ) संघर्षी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना;

बड़ी शास्तियां:

(च) संघर्षी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना;

1	2	3	4	5
		(छ) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित, कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;		
81	माली	(ज) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था। पदोन्नति के लिए साधारणतया: रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा ;		
82	फैरो खलासी	(झ) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;		
83	स्वीपर	(ञ) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निर्रता नहीं होगी ;		
84	सेवादर एवं चौकीदार	(ट) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निर्रता होगी ।		
85	ट्रक क्लीनर			

8. उक्त नियमों में, परिशिष्ट घ के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 16 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	नियन्त्रक वित्त तथा लेखा	(क) पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसको अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना;	मुख्य प्रशासक	बोर्ड
2	प्रमुख अभियन्ता			
3	मुख्य अभियन्ता			
4	मुख्य विपणन विकास अधिकारी	(ख) सेवा में किसी सदस्य को उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।		
5	विपणन विकास अधिकारी			
6	अधीक्षक अभियन्ता (सिविल)			
7	अधीक्षक अभियन्ता (विद्युत)			
8	अधीक्षक अभियन्ता (जन स्वास्थ्य)			
9	उप महाप्रबन्धक (विपणन एवं निर्यात मण्डल)			
10	उप महाप्रबन्धक (मण्डी अनुसन्धान, पोस्ट हारवैस्टिंग प्रबन्धन तथा किसानों तथा बोर्ड कार्मिक को प्रशिक्षण)			
11	उप महाप्रबन्धक (गुण नियन्त्रण)			
12	वास्तुकार			
13	प्रशासकीय अधिकारी			
14	जोनल विपणन प्रवर्तन अधिकारी			
15	कार्यकारी अभियन्ता (सिविल/गुण नियन्त्रक)			
16	कार्यकारी अभियन्ता (विद्युत)			
17	कार्यकारी अभियन्ता (जन स्वास्थ्य)			
18	परियोजना प्रबन्धक			
19	सहायक परियोजना प्रबन्धक (सिविल)	(क) पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसको अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना;	मुख्य प्रशासक	बोर्ड
20	सहायक परियोजना प्रबन्धक (विद्युत)	(ख) सेवा में किसी सदस्य को उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।		
21	सहायक परियोजना प्रबन्धक (रेफरीजरेशन)			
22	सहायक कृषि परियोजना प्रबन्धक (बागवानी)			
23	सहायक कृषि परियोजना प्रबन्धक (खाद्य प्रोसेसिंग)			
24	सहायक वास्तुकार			
25	वरिष्ठ लेखा अधिकारी			

1	2	3	4	5
26	जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी			
27	उप मण्डल अभियन्ता (सिविल, विद्युत, जन स्वास्थ्य, मैकेनिकल, गुण नियन्त्रक (सिविल)			
28	उप मण्डल अभियन्ता (भू-दृश्य-निर्माण)			
29	सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी			
30	सहायक महाप्रबन्धक (विपणन तथा निर्यात मण्डल)			
31	पुस्तकालयाध्यक्ष			
32	वास्तुशिल्पीय सहायक			
33	निजी सचिव			
34	लेखा अधिकारी			
35	अधीक्षक			
36	सहायक लेखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी			
37	मण्डल लेखाकार			
38	वरिष्ठ प्रारूपकार वास्तुकार			
39	वाणिज्यिक लेखाकार			
40	परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार			
41	कनिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकार)			
42	निजी सहायक			
43	उप अधीक्षक			
44	सहायक सचिव			
45	कृषि कारबार प्रबन्धक			
46	मुख्य प्रारूपकार (सिविल/विद्युत)			
47	कनिष्ठ अभियन्ता, (सिविल/ विद्युत/ मैकेनिकल/जन स्वास्थ्य गुण नियन्त्रक)			
48	कनिष्ठ अभियन्ता (भू-दृश्य-निर्माण)			
49	इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सहायक			
50	कानूनगो			
51	सहायक प्रारूपकार (वास्तुकला)			
52	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक			
53	सहायक			
54	लेखाकार (मण्डी समिति)			
55	प्रारूपकार आटो कैड			
56	सहायक प्रारूपकार (सिविल/ विद्युत/मैकेनिकल/जन स्वास्थ्य/गुण नियन्त्रक)			

1	2	3	4	5
57	मण्डी पर्यवेक्षक एवं फीस कलक्टर			
58	लेखा लिपिक/उप मण्डल लिपिक			
59	लेखा परीक्षक			
60	सहायक अग्नि उप अधिकारी			
61	पलम्बर			
62	इलैक्ट्रीशियन			
63	मोटर मैकेनिक			
64	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक			
65	चालक संचालक			
66	लीडिंग फायरमैन			
67	चालक			
68	पटवारी			
69	कम्प्यूटर संचालक एवं लिपिक			
70	लिपिक			
71	डुप्लीकेटिंग मशीन संचालक			
72	बस परिचालक			
73	रैस्टोरर			
74	आशुटकक			
75	फायरमैन			
76	नीलामी रिकार्डर			
77	नलकूप संचालक			
78	दफ्तरी	(क) पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के	सचिव	मुख्य प्रशासक"।
79	जमादार	अधीन उसको अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त		
80	रोड रोलर कलीनर	पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना;		
81	मांली	(ख) सेवा में किसी सदस्य को उसकी		
82	फैरो खलासी	अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने		
83	स्वीपर	से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।		
84	सेवादार एवं चौकीदार			
85	ट्रक कलीनर			

रोशन लाल,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव,

हरियाणा सरकार, कृषि विभाग।